दुष्कर्म के दोषी व सहयोगी को सात वर्ष का कारावास

जासं, श्रावस्ती : इकौना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले में दोषी व सहयोगी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। 70 हजार अर्थदंड भी लगाया गया है। रकम अदा न करने पर दोषियों को एक वर्ष छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सतेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 26 जून 2011 को घर में अकेली मौजूद 14 वर्षीय किशोरी को ननके अपनी पत्नी विमला व साले सर्वेश कुमार के साथ मिलकर भगा ले गया था। इस मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर इकौना थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के चार माह बाद पीड़िता की बरामदगी हुई थी। बरामदगी के बाद पीड़िता ने बताया कि घटना वाले दिन उसके मामा व मामी सर्वेश के साथ घर आए थे। उसे जबरदस्ती लेकर चले गए। आरोपित पहले किशोरी को परसिया गांव ले गए। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया। सर्वेश अयोध्या में किराए का कमरा लेकर उसे एक माह तक रखा और रोज उसके साथ दुष्कर्म करता रहा, फिर उसे मुंबई लेकर गया। दो माह मुंबई में रखा। यहां पर भी उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। विवेचना इकौना पुलिस ने की। मामले का विचारण अपर सत्र न्यायालय (रेप एलांग विद पाक्सो एक्ट) के न्यायालय में हुआ।